



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 65795

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 10652 सन् 2026

राजकुमार

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- उपेन्द्र उपाध्याय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति हरवीर सिंह

1. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक/राजकुमार की ओर से, विचारण की लंबितता के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 43 सन् 2025, धाराओं 87, 61(2), 351(3) एवं 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना सकरौली, जनपद एटा, में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, जमानत प्रार्थना पत्र पर आग्रह करते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्यारूप से फँसाया गया है और उसने कोई अपराध नहीं किया है, जैसा कि अभियोजन द्वारा आरोपित किया गया है। वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप है कि आवेदक के पुत्र शिवम तथा एक हेमा ने दिनांक 10.10.2024 को सूचनादाता की पुत्री को बहला-फुसला कर ले गए। यह भी आरोप है कि आवेदक तथा एक राजेश भी इस षड्यंत्र में शामिल थे और शिवम (आवेदक के पुत्र) ने सूचनादाता की पुत्री के साथ अनेक बार बलात्कार किया। यह भी आरोप है कि हेमा के इशारे पर पीड़िता और शिवम के मध्य विवाह कराने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रयास किया गया। परंतु, सभी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, उक्त विवाह संपन्न नहीं हो सका और अभियुक्त-आवेदक एवं अन्य उपर्युक्त व्यक्तियों के सभी प्रयास व्यर्थ रहे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता वापस आ गई है और परिवार से पुनर्मिलन हो गया है। समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त राजेश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 27954 सन् 2025 में दिनांक 05.02.2026 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक इस मामले में दिनांक 14.07.2025 से कारागार में निरुद्ध है, उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और इसकी कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त-आवेदक, जमानत पर रिहाई के पश्चात्, विधि की प्रक्रिया से भागेगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

4. विद्वान अपर महाधिवक्ता ने इस आधार पर आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया कि आवेदक पीड़िता के अपहरण में संलिप्त है और आवेदक के पुत्र शिवम ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जैसा कि उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में कहा है, अतः आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है, परंतु इस तथ्य को विवादित नहीं कर सके कि समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त राजेश को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।
5. पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के पश्चात् तथा इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता के साथ बलात्कार करने का मुख्य आरोप सह-अभियुक्त शिवम (वर्तमान आवेदक के पुत्र) पर है; आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और समान स्थिति में रहे सह-अभियुक्त राजेश को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है; अभियुक्त-आवेदक इस मामले में दिनांक 14.07.2025 से कारागार में निरुद्ध है, उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा सुविचारित मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।



6. अभियुक्त-आवेदक/राजकुमार, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी धनराशि में दो प्रतिभूतियाँ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए::

(i) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान साक्षियों को भयभीत/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक विचारण में कोई स्थगन न चाहते हुए ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति एवं निवास-प्रमाण संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएँ।

(हरवीर सिंह, न्यायमूर्ति)

30 मार्च, 2026

गुरप्रीत सिंह